

रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/पर्यवेक्षी परिपत्र सं. 6/2020-21  
17 मई, 2021

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

### पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना - समय सीमा का विस्तार

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए, पर्यवेक्षण विभाग (DoS) को विभिन्न पर्यवेक्षी विवरणी जमा करने की समय-सीमा को नीचे दिए गए अनुसार बढ़ाया जा रहा है:


- (i) सभी मासिक रिटर्न की देय तिथियां, जो कि 30 जून, 2021 तक प्रस्तुत करने हेतु देय होगी को संबंधित रिटर्न जमा करने की निर्धारित देय तिथियों से 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है; एवं
- (ii) सभी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रिटर्न की देय तिथियां, जो कि 30 जून, 2021 तक प्रस्तुत करने हेतु देय होगी को संबंधित रिटर्न जमा करने की निर्धारित देय तिथियों से 30 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

2. समय अवधि विस्तार विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आ.वि.कं. को प्रावधानों के अनुपालन हेतु दिया जा रहा है, तथा इसे सामान्य तौर पर अथवा अन्यथा विवरणियां प्रस्तुत करने सम्बन्धी किसी प्रावधान से छूट नहीं माना जाना चाहिए।

3. उपरोक्त उल्लिखित दिनों में छुट्टियां एवं सप्ताहांत शामिल होंगे। उपरोक्त विस्तार आवश्यकता के आधार पर मांगी जानी वाली विवरणियों/जानकारियों के लिए लागू नहीं होगा। उचित प्रयास के आधार पर समय से पूर्व विवरणियों के प्रस्तुत करने में सक्षम आ.वि.कं. ऐसा करना जारी रख सकती है।

4. इस संबंध में अन्य विनियामकों/प्राधिकरणों के द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों का वहां तक पालन किया जाएगा, जहां वे इन निर्देशों से असंगत नहीं हैं।

भवदीय,



(विनीत सिंघल)

महाप्रबंधक